फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रूकमणी बनाम विपक्षी : श्री नारू व अन्य

केस्म मुकदमा – 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 62/22

दिनांक : 16.10.2025 कार्यवाही विवरण

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस सुने अधिक समय हो जाने से पुनः मजिद बहस सुनी जाना आवश्यक है। अधिवक्ता वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष नहीं चाहा है जिससे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 1423, 1456/1, 1456/2 किता 3 रकबा 23 विघा 9 बिस्वा भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के मौरूस जेता पिता नंगा रावत का 1/3 हिस्सा दर्ज है। जेता की मृत्यु हुये करीब 15 वर्ष हो गये है। जेता के पुत्र मन्ना व वक्ता है जिसमे से वक्ता की मृत्यु करीब 6 साल हुये हो चुकी है जिसके वादीगण 1, 2 वारिस है। वादीगण के पिता जेता फौत हो चुके है एवं राजस्व रेकर्ड में जेता जी का नाम ही चला आ रहा है ऐसी स्थिति में मृतक जेता के बजाय वादीगण उनके जायज वारिस है जिससे उनके हिस्से अनुसार घोषणा कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। साथ ही कथन कहा कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौरूस द्वारा करीब 30 साल पहले काश्त की दृष्टि से आपसी सहमती से बंटवाडा कर दिया है लेकिन भूमि का विधिवत मिट्स एण्ड से बंटवाडा नहीं हुआ है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में मृतक जेता पिता नंगा के बजाय वादी 1, 2 को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यु – 1 श्रीमती रूकमणी वेवा वक्ता जी रावत का पेश किया गया तथा दस्तावेज के रूप में खाता संख्या नया 169 की नकल प्रदर्श–1 कराई गई। अन्य शपथ पत्र पीडब्ल्यु–2 श्री मन्ना पिता जेता रावत का पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश है। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा

सहायक कलक्टर
भीण्डर

बंटवाडे का अनुतोष विड्रो किया जा चुका है।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। दस्तावेज प्रदर्श–1 से स्प... वादग्रस्त आराजी न. 1423, 1456/1, 1456/2 किता 3 रकवा 23 विघा 9 बिस्वा भू... जेता पिता नंगा 1/3 हिस्से से खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 ... दर्ज है व शेष 1/3 हिस्सा भजा, लालु पिता भगा के नाम दर्ज है। वादी का वाद जेता पि... नंगा के हद तक ही है। वादी द्वारा वाद पत्र में कथन कहा है कि खातेदार जेता पिता ... वादीगण के मौरूस है। खातेदार जेता पिता नंगा फौत हो चुके है जिनके वारिसान ... है। दस्तावेज प्रदर्श–1 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी न. 1423, 1456/1, 1456/2 ... 3 रकवा 23 विघा 9 विस्वा भूमि में जेता पिता नंगा 1/3 हिस्से से खातेदार दर्ज ... वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पीडब्ल्यु–1 वादी संख्या 1 का व ... पत्र पीडब्ल्यु –2 वादी संख्या 3 का प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का कि... प्रकार से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ... वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तका... अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा आकोला पटवार ह... आकोला हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 169 व पुरानी 221 ... आराजी न. 1423, 1456/1, 1456/2 किता 3 रकवा 23 विघा 9 विस्वा भूमि में भू प्रबन्... के बाद नये नम्बरान के आधार पर खातेदार जेता पिता नंगा 1/3 के बजाय वादी संख्या ... 2 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का तथा वादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से का खातेदा... काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैस... सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीण्डर